कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

Tel. : 07786-242303 southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा०चि०/1002 कोंडागांव, दिनांक 02/7/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

विषय :— Diversion of forest Land for non-forest purpose onder forest conservation act 1980 proposed for Bharat Net Phase II South Kondagaon Division "Bharat Net Project" which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fibre cable laying of appeoximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 distict across the state, area – 8.011 ha regarding.
पंजीयन क्रमांक — FP/CG/OFC/42879/2019

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/115—821/872, दिनांक 11—05—2020

—000—

निवेदन है कि दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत वनक्षेत्र में आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिाकारी छ.ग. इन्फोटेक परमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर द्वारा भारत नेट परियोजना का संचालन हेतु ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित रकबा 8.011 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में 07 बिन्दूओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसे पूर्ति कर निम्नानुसार आपकी ओर प्रेषित है।

बि.क्र.	पाई गई कॅमिया	निराकरण
1	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नही किया गया है।	भारत सरकार की वेबसाईट पर कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
2	Form A Part II के कॉलम नम्बर 4 निरंक है	प्रस्तावित वनभूमि में ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की वृक्षों का विदोहन नही किया जाना है। अतः प्रजाति एवं ग्रर्थ वाईस वृक्ष विदोहन की जानकारी ऑनलाईन Form A Part II के कॉलम नम्बर 4 निरंक माना जावें।

3	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ–5–02/10–2 दिनांक 16. 04.2020 से ओ.एफ.सी. लाइन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।	संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया है। अवलोकन के उपरांत प्रकरण में सुधार किया गया है।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्रमांक ए (ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण) तथा बी (ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुसंशा) सम्बन्धी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linrear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Sattlement of Right सम्बन्धी ग्रामसभा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही को संलग्न किया जाना उल्लेखित है	प्रस्ताव में कलेक्टर कार्यालय जिला कोंडागांव द्वारा वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिनांक 04.12..2019 को प्रदाय किया गया है। जिसमे जलवायु एवं वन मंत्रलय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 03.08. 2009 का उल्लेख किया गया है। जलवायु एवं वन मंत्रलय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 28.10. 2014 में उपरोक्त पत्र का उल्लेख है जिसके अनुसार Proposal seeking prior approval under FCA 1980 for project for laying of Optical Fibre Cable are exempted from requirement of obtaining consent of the concern gramsabha. (Annex – 1,2,3 and 4) Linrear प्रस्ताव जिसमें वृक्ष कटाई कार्य नही किया जाना है, उसमें लागू नही होता।
5	संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 13 में लेख अनुसार सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें।	कलेक्टर कार्यालय जिला कोंडागांव से दिनांक 04.12.2019 को प्राप्त FRA प्रमाण पत्र का अवलोकन हो, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की आवश्यकता नहीं है क्योकि आवेदित वन क्षेत्र में Premitive Trible Group and Pre-Agricultural Communities निवास नहीं करती है
6	प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित कांकेर वनमंडल में अलग अलग OFC लाइन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष क्रमांक को दर्ज करते कुल रकबा 8.011 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है। उक्त त्रुटि इस प्रकरण में भी परिलक्षित हो रही है, जो निम्नानुसार है :–	यह एक OFC Line का Linear प्रकरण है जो ring system पर आधारित है अर्थात जिस बिंदु से OFC Line प्रारंभ होती है उसी बिंदु पर आकर OFC Line समाप्त हो जाती है। शेष विवरण प्रस्ताव में चेकलिस्ट 3 में शामिल है तथा दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में प्रस्तावित OFC लाइन किस ग्राम से किस ग्राम तक गुजर रही है, उनका वनखंड वार

	1. प्रत्येक OFC लाइन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है। इसका कोई उल्लेख नही किया गया है। 2. प्रत्येक OFC लाइन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा नही दर्शाया गया है।	तथा कक्ष वार विवरण सूचीबद्ध प्रस्ताव मे उल्लेख है, जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (Annex – 5and 6)
7	चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिंदु, प्रस्ताव का पृष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दी जावे।	प्रस्ताव हेतु चेक लिस्टवार उल्लेख करते हुये टीप संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल
जिला कोण्डागांव

पृष्ठाकंन क्रमांक/मा०चि०/1004 कोंडागांव, दिनांक 02/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल
जिला कोण्डागांव